घर-घर
औषधि योजना

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकःएफ.1(4)2002/कार्मिक–राज/प्रमुवसं/ दिनांक

संशोधित आदेश

राज्य सरकार द्वारा वर्तमान मे विभाग में वृतों को समाप्त कर राजस्व संभागों के अनुरूप संभागीय मुख्य वन संरक्षक पदस्थापित किये गये है। इसी प्रकार वन्य जीव एवं वन्य जीव क्षेत्रों में समुचित संरक्षण, देखरेख हेतु मुख्य वन संरक्षक(वन्य जीव) पदस्थापित किये गये है। विभिन्न संभागो में विभागीय उत्पादन के प्रयोजनार्थ विभागीय कार्य वृत भी सृजित किये गये है, जिनका क्षेत्र विभिन्न संभागो के परिच्छादित (ओवरलेप) करता है तथा इसी प्रकार मूल्यांकन एवं कार्य आयोजना वृत के द्वारा भी अपनी गतिविधियॉ विभिन्न क्षेत्रों में संचालित की जाती है। किसी भी वृत में संचालित की जा रहीं समस्त गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन, समन्वय एवं प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी सम संख्यक आदेश दिनांक 07.01.2021 को अधिलंघित करते हुए निम्न अधिकारियों को उनके सम्मुख अंकित संभाग के क्षेत्र में समस्त वानिकी गतिविधियों के संचालन की मोनेटरिंग एवं पर्यवेक्षण की दृष्टि से संभाग क्षेत्र आवंटित किये जाते है।

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	संभाग, जिसके ये अधिकारी प्रभारी होगें
1	सुश्री शिखा मेहरा	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक	जयपुर एवं भरतपुर
2	श्री उदय शंकर	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक	उदयपुर एवं अजमेर
3	श्री के.सी.ए. अरूण प्रसाद	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक	कोटा
4	श्री के.सी. मीणा	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक	बीकानेर एवं जोधपुर

उक्त अधिकारीगण प्रति माह उनको आवंटित संभाग का दौरा करेगे एवं फील्ड एरिया का चयन पूर्व अनुसार न कर पहुॅचने पर रेण्डमली करेंगे। समय–समय पर विशेष अभियानो/कार्यक्रमों को भी पर्यवेक्षण करेंगे, उन्हें वांछित गति प्रदान करेगें और समस्याओं का यथासम्भव अपने स्तर पर निराकरण करेगें।

दौरे के उपरांत संभाग में संचालित की जा रहीं समस्त गतिविधियों के संबंध में एक विस्तृत निरीक्षण नोट जिसमें संभाग की समस्त गतिविधियों की प्रगति एवं उनके संचालन में आ रहीं कठिनाईयो व ऐसे विषय जिन्हें प्राथमिकता दी जानी आवश्यक हो, का विस्तृत उल्लेख करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, जयपुर को प्रस्तुत करेगें। विशेषतः मुख्यमंत्री बजट घोषणाओ/निर्देशो की प्रगति, MJSA कार्यो की प्रगति, वन संरक्षण अधिनियम प्रकरणों की प्रगति, वन अधिकार अधिनियम प्रकरणों की प्रगति, वन एवं वन्यजीव अपराध के प्रकरणों की स्थिति, विकास कार्य यथा, पौधारोपण, अग्रिम कार्यो की स्थिति, नर्सरी में पौधा तैयारी/उपलब्धता की स्थिति, लोकायुक्त/मानव अधिकार प्रकरणो की प्रगति, एन.सी.टी./उच्च न्यायालय/अधीनस्थ न्यायालयों मे प्रकरणों की स्थिति/अवमानना प्रकरण सम्पर्क पोर्टल 181 में L1, L2, L3 पर प्रकरणों की स्थिति को विस्तृत नोट में अंकित किया जावे। मुख्यालय में प्राप्त समस्त रिकॉर्ड का संकलन अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रबोधन एवं मूल्यांकन), राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जावेगा तथा रिर्पोट के आधार पर सामने आये प्रमुख महत्वपूर्ण विषयों से पृथक से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया जावेगा।

सं०

(डॉ. डी.एन.पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.1(4)2002/कार्मिक–राज/प्रमुवसं/ 3059-66 दिनांक 09-12-2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय वन मंत्री जी।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव (वन)।
3. निजि सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ.), जयपुर।
4. श्री..पद..
5. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. डी.एन.पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर।